...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...रण सख्या : 157/2015

कृष्ण मुरारी पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां ....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0) ....प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 11.08.2015
निर्णय दिनांक : 23.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल में पत्रावली संख्या 28 दिनांक 17.11.1988 को खसरा नं0 285 रकबा 3 बीघा भूमि कीमतन आवंटन हुई थी। हल्का पटवारी राधेश्याम शर्मा व कानूनगो द्वारा दिनांक 19.06.1989 को दखल दिया जाकर आवंटन शुदा आराजी पर वादी का काबिज व दाखिल करवाया गया था। उक्त भूमि साबिक खसरा नं0 285/2 के हाल खसरा नं0 436/821 रकबा 0.48 है0 दर्ज किये गये जो वादी के नाम बतौर गैर खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा आवंटन राशि जमा करवा दी गयी है। तथा वादी के तरफ कोई बकाया नही है। वादी द्वारा रसीद संख्या 0450068/060 दिनांक 11.11.2010 को बकाया राशि 975 रू0 जमा करवा दी है। आवंटन शुदा आराजी को वादी अपने नाम खातेदारी कृषक दर्ज करवाने का अधिकारी व नालिशी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम बालापुरा के खसरा नम्बर साबिक 285/2 की 3 बीघा हाल खसरा नं0 436/821 रकबा 0.48 है0 आराजी वादी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की जाकर वादी को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.08.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादी अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। वकील वादी श्री अजित कुमार जैन ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। पत्रावली में प्रतिलिपि दखल नामा व आवंटन राशि जमा की रसीद संलग्न है। वादी आवंटित भूमि ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नं0

/821 रकबा 0.48 है0 पर काबिज काश्त है एवं वादी का उक्त आराजी पर कब्जा है। वादी द्वारा न की सम्पूर्ण शर्तो की पालना की जा रही है। अतः आवंटन शर्तो की पालना वादी द्वारा किये जाने वादी को भूमि ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नं0 नं0 436/821 रकबा 0.48 है0 का खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नं0 नं0 436/821 रकबा 0.48 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है तदनुसार डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।